

बिहार सरकार

कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-22/2015-160 (आवंटन)/कृ०, पटना, दिनांक 23-12-2015
प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

Mail/Fax

कृषि निदेशक बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ नालन्दा/भोजपुर/ बक्सर /
रोहतास/कैमूर (भभुआ)/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/ सारण/ सीवान
/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण /सीतामढ़ी/ शिवहर/वैशाली
/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शेखपुरा/जमुई /भागलपुर
/बांका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/ अररिया /कटिहार /खगड़िया।

विषय

खरीफ 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम अंतर्गत धान, मक्का एवं अन्य
खरीफ फसल के लिए पूर्व में स्वीकृत तीन सिंचाई को बढ़ाकर पाँच सिंचाई के लिए
अनुमान्यता प्रदान करने तथा धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के लिए डीजल पर प्रति
लीटर अनुदान को 25 रु० से बढ़ाकर 30 रु० करने की घटनोत्तर स्वीकृति तथा प्रथम
अनुपूरक से बजट उपबंध के आलोक में 200.00 करोड़ रु० (दो अरब रु०) की अतिरिक्त
लागत पर कार्यक्रम कर्षान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 2.00 करोड़
रुपये (दो करोड़ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु
कुल ₹2,86,000 (दो लाख छियासी हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

प्रसंग:-

जिला कृषि पदाधिकारी कैमूर का पत्रांक:-1133 दिनांक-02.12.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3699 दिनांक-06.08.2015 के द्वारा खरीफ
2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम अंतर्गत धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के लिए
पूर्व में स्वीकृत तीन सिंचाई को बढ़ाकर पाँच सिंचाई के लिए अनुमान्यता प्रदान करने तथा धान, मक्का एवं
अन्य खरीफ फसल के लिए डीजल पर प्रति लीटर अनुदान को 25 रु० से बढ़ाकर 30 रु० करने की
घटनोत्तर स्वीकृति तथा प्रथम अनुपूरक से बजट उपबंध के आलोक में 200.00 करोड़ रु० (दो अरब रु०) की
अतिरिक्त लागत पर कार्यक्रम कर्षान्वयन तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 2.00 करोड़ रुपये
(दो करोड़ रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। तत्काल व्यय हेतु कुल ₹2,86,000 (दो लाख
छियासी हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹2,86,000 (दो लाख छियासी हजार रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष-
2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जन जातिय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1-
उपशीर्ष-0147-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्रकोड-P2401007960147 विषयशीर्ष - 3301
-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2015-16 के लिए प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक:-5294
दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय
किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से
उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

160(भावंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 23-12-2015

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

160(भावंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 23-12-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्प) योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, (शष्प) बीज कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

160(भावंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 23-12-2015

प्रतिलिपि : विवरणी सहित उप निदेशक, (शष्प), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

खरीफ 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम अंतर्गत धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसल के लिए (अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुको) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3699 दिनांक-06.08.2015 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007960147

(राशि रुपये में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	पूर्व में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3012 दिनांक-25.06.2015 द्वारा स्वीकृत राशि	पूर्व में विभागीय पत्रांक-47 (आवंटन) दिनांक-25.06.2015 द्वारा आवंटित राशि	पूर्व में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3699 दिनांक-06.08.2015 द्वारा स्वीकृत राशि	पूर्व में विभागीय पत्रांक-96 (आवंटन) दिनांक-14.09.2015 द्वारा आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल स्वीकृत राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कृषि निदेशक बिहार, पटना	48,56,500	48,56,500				48,56,500	48,56,500
2	जिला पदाधिकारी, पटना	5,94,780	5,94,780	6,56,000	3,28,000		12,50,780	9,22,780
3	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	6,32,540	6,32,540	6,97,000	3,48,500		13,29,540	9,81,040
4	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	5,61,740	5,61,740	6,19,000	3,09,500		11,80,740	8,71,240
5	जिला पदाधिकारी, बक्सर	4,41,360	4,41,360	4,87,000	2,43,500		9,28,360	6,84,860
6	जिला पदाधिकारी, रोहतास	9,27,880	9,27,880	10,23,000	-		19,50,880	9,27,880
7	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	5,19,260	5,19,260	5,72,000	2,86,000	2,86,000	10,91,260	10,91,260
8	जिला पदाधिकारी, गया	7,62,360	7,62,360	8,40,000	-		16,02,360	7,62,360
9	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	2,36,020	2,36,020	2,60,000	1,30,000		4,96,020	3,66,020
10	जिला पदाधिकारी, अरवल	2,00,620	2,00,620	2,21,000	-		4,21,620	2,00,620
11	जिला पदाधिकारी, नवादा	4,03,600	4,03,600	4,45,000	-		8,48,600	4,03,600
12	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	7,83,600	7,83,600	8,64,000	-		16,47,600	7,83,600
13	जिला पदाधिकारी, सारण	5,61,740	5,61,740	6,19,000	3,09,500		11,80,740	8,71,240
14	जिला पदाधिकारी, सिवान	5,47,580	5,47,580	6,04,000	3,02,000		11,51,580	8,49,580
15	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	4,86,200	4,86,200	5,36,000	2,68,000		10,22,200	7,54,200
16	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	6,34,900	6,34,900	7,00,000	3,50,000		13,34,900	9,84,900
17	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	9,22,860	9,22,860	10,17,000	5,08,500		19,39,860	14,31,360
18	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	7,57,640	7,57,640	8,35,000	4,17,500		15,92,640	11,75,140
19	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	4,69,680	4,69,680	5,18,000	2,59,000		9,87,680	7,28,680
20	जिला पदाधिकारी, शिवहर	1,20,380	1,20,380	1,33,000	65,500		2,53,380	1,86,880
21	जिला पदाधिकारी, वैशाली	3,82,360	3,82,360	4,21,000	2,10,500		8,03,360	5,92,860
22	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	4,57,880	4,57,880	5,05,000	2,52,500		9,62,880	7,10,380
23	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	7,64,720	7,64,720	8,43,000	4,21,500		16,07,720	11,86,220
24	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	5,19,260	5,19,260	5,72,000	2,86,000		10,91,260	8,05,260
25	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	4,01,240	4,01,240	4,42,000	2,21,000		8,43,240	6,22,240
26	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	2,17,140	2,17,140	2,39,000	-		4,56,140	2,17,140
27	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	1,36,900	1,36,900	1,51,000	-		2,87,900	1,36,900
28	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	2,07,700	2,07,700	2,29,000	-		4,36,700	2,07,700
29	जिला पदाधिकारी, जमुई	3,37,520	3,37,520	3,72,000	-		7,09,520	3,37,520
30	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	4,48,440	4,48,440	4,94,000	-		9,42,440	4,48,440
31	जिला पदाधिकारी, बांका	5,28,700	5,28,700	5,83,000	-		11,11,700	5,28,700
32	जिला पदाधिकारी, सहरसा	3,37,520	3,37,520	3,72,000	1,86,000		7,09,520	5,23,520
33	जिला पदाधिकारी, सुपौल	4,20,120	4,20,120	4,63,000	2,31,500		8,83,120	6,51,620
34	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	3,46,960	3,46,960	3,82,000	1,91,000		7,28,960	5,37,960
35	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	5,47,580	5,47,580	6,04,000	3,02,000		11,51,580	8,49,580
36	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	4,08,320	4,08,320	4,50,000	2,25,000		8,58,320	6,33,320
37	जिला पदाधिकारी, अररिया	4,88,580	4,88,580	5,39,000	2,69,500		10,27,580	7,58,080
38	जिला पदाधिकारी, कटिहार	4,05,960	4,05,960	4,47,000	2,23,500		8,52,960	6,29,460
39	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	2,21,860	2,21,860	2,45,000	1,22,500		4,66,860	3,44,360
कुल		2,30,00,000	2,30,00,000	1,99,99,000	72,69,000	2,86,000	4,29,99,000	3,05,55,000

कुल-वर्तमान आवंटित राशि -(दो लाख छियासी हजार रु०) मात्र।

Deep
(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।